<u>जिला न्यायाधीश–प्रथम, पटना</u>

Latter of Adminsitration वाद सं0–20 / 2015

<u>आदेश</u>

02.07.2026 आवेदक की ओर से पैरवी किया गया है। आज आवेदक की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस वाद में आवेदक की ओर से अभी तक कुल दो साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है और अंतिम साक्षी दिनांक 20.12.2025 को प्रस्तुत किया गया है। तदुपरांत लगातार 06 नियत तिथियों से आवेदक की ओर से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि विगत आदेश दिनांक 06.06.2026 के अनुसार अवेदक को अपने स्तर से साक्ष्य लाने हेतु निर्देश दिया गया था। आज वाद के बार–बार पुकार किए जाने पर आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक की ओर से दाखिल इस वाद को परिचालित करने में उनकी कोई अभिरूचि नहीं है। तद्नुसार इस वाद को परिचालित नहीं किए जाने के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(राकेश कुमार–1)
जिला न्यायाधीश–प्रथम, पटना।

निर्णय / आदेश की तिथि	02.07.2026
निर्णय / आदेश आरक्षित करने की तिथि	––
अपलोडिंग तिथि	02.07.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक